

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1542  
10 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

छावनी बोर्ड के लिए नए भवन-उपनियम

1542. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को नए भवन उपनियम लाने के संदर्भ में छावनी बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का छावनी निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए नए भवन निर्माण उपनियमों को अधिसूचित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार छावनी बोर्डों के लिए नई फ्रीहोल्ड नीति पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): जी, हाँ। छावनी बोर्ड सेंट थोमस माउंट-सह-पल्लावरम ने सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रारूप भवन उपनियम भेजे हैं।

(ख): अन्य बातों के साथ-साथ प्रारूप भवन उपनियमों को राष्ट्रीय भवन कोड, छावनी क्षेत्र की कैरिंग कपैसिटी, भवनों की फायर रेटिंग, पड़ोसी नगरपालिका की एफएसआई, मिलिट्री क्षेत्रों के सुरक्षा संबंधी मुद्दे और वर्षा-जल संचयन एवं रूफटोप सोलर यंत्रों हेतु प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए "छावनी बोर्ड की कार्यप्रणाली" पर सुमित बोस समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रस्तावित किया गया है।

(ग): डीजीडीई (रक्षा मंत्रालय) द्वारा भवन उप-नियमों के लिए एक उचित मॉडल तैयार करने और छावनियों के नागरिक अथवा बाजारों के पुनः विकास के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को शामिल किया गया। एजेंसी ने छावनी बोर्डों द्वारा बनाए जा रहे उपनियमों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह विचाराधीन है।

(घ) और (ड.): छावनियों में पुराने अनुदान और पट्टे पर दी गई जायदाद को परिवर्तित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक नीति 18.06.1982 और 09.02.1995 को जारी की गई और वर्तमान में यही मान्य है।

\*\*\*\*\*